

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक प. 24 (29) चिस्वा./ग्रुप-3/2012

जयपुर, दिनांक

05.06.2012

अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राज्य, जयपुर।

विषय:- निजी क्षेत्र में जी.एन.एम. कोर्स में सीटवृद्धि कर, छात्र आवंटन करने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि बियानी स्कूल ऑफ नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल साइन्स मार्फत बियानी शिक्षण समिति, जयपुर को आई.एन.सी. नई दिल्ली द्वारा उनका पत्र क्रमांक 02/जून/2012 दिनांक 12.06.2012 के द्वारा जी.एन.एम. कोर्स में सीटवृद्धि हेतु दी गई एन.ओ.सी. के क्रम में उक्त संस्था को 30 से बढ़ाकर 40 सीटों की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अतः तदनुसार उक्त संस्था को 40 सीटों हेतु नियमानुसार छात्र आवंटन किये जाने की कार्यवाही करावें।

भवदीय

80

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 2 पदेन अध्यक्ष/रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल, जयपुर।
- 3 सचिव, इण्डियन नर्सिंग कौन्सिल, कम्बाईन्ड कौन्सिल बिल्डिंग कोटला रोड, टेम्पल लेन, नई दिल्ली-02
- 4 अध्यक्ष, राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग स्कूल फेडरेशन, ई-277, नई विधानसभा के पीछे, लाल कोठी योजना, जयपुर।
- 5 चैयरमैन, बियानी स्कूल ऑफ नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल साइन्स मार्फत बियानी शिक्षण समिति, विद्याधर नगर, सेक्टर-3, जयपुर।
- 6 रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

RAJASTHAN NURSING COUNCIL
JAIPUR

H-39, Sardar Patel Marg, C- Scheme, Jaipur, Ph- 2222923

क्रमांक-आर.एन.सी/2012/.....

दिनांक

The Principal,
Biyani School Of Nursing,
R-4, Sector-3, Vidhyadhar Nagar,
Jaipur- 302023

विषय:-संबद्धता जारी करने के काम में

उपरोक्त विषयान्वित लेख है कि राज्य सरकार के पूर्व पत्रांक एफ 5(211)M&H/Gr-3/1996 Pt.-I Date 30.01.2006 एवं आई.एन.सी.नई दिल्ली के पत्रांक File No. 02/May/(1)/2006-INC दिनांक 25.05.2006 एवं राजस्थान नर्सिंग कौंसिल जयपुर के पत्रांक आर.एन.सी./मान्यता/ 16293 दिनांक 07.07.2006 के द्वारा आपकी संस्था को 30 सीटो हेतु जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स चालु करने हेतु मान्यता प्रदान की गई थी।

अतः राज्य सरकार का पत्रांक प. 24(29)M&H/Gr-3/2012 Date 09.08.2012 एवं आई.एन.सी.नई दिल्ली का पत्रांक File No.02/Oct/2010 दिनांक 30.10.2010 के द्वारा आपकी संस्था को 30 (तीस) सीटो की जगह 40 (चालीस) सीटो हेतु जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स चालु करने हेतु मान्यता/संबद्धता प्रदान की जाती है। अन्य शर्तें पूर्व पत्रांक आर.एन.सी./मान्यता/16293 दिनांक 07.07.06 के अनुसार शेष धरावत रहेगी।

रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

क्रमांक-आर.एन.सी/2012/1605

दिनांक 3/8/12

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन-उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-3) राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद् संयुक्त परिषद् भवन, कोटला मार्ग, टेम्पल लेन, ऐगले गालिब मार्ग, नई दिल्ली को उनके पत्र के क्रम में।
4. कार्यालय प्रति।

रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर